न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरोही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

1. विकास सेठ पुत्र श्री तरसेम कुमार सेठ, जाति- खत्री,
   निवासी- 10, सानंद हाउस, नक्की झील, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही
   (विक्रेता एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- मैसर्स बॉम रिफ्रेशमेन्ट, नक्की झील, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही

2. जसवंत कुमार नायक पुत्र श्री मनोहरलाल नायक,
   निवासी- कुटुम्ब कॉलोनी, शिवगंज, जिला- सिरोही
   (खाद्यकाराबारकर्ता, भागीदार एवं सप्लायर)

फर्म:- मैसर्स अम्बिका डिस्ट्रीब्यूटर, जी-1/106, अम्बाजी इन्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़

3. हिमालय नायक पुत्र श्री शैलेष कुमार नायक,
   निवासी- कुटुम्ब कॉलोनी, शिवगंज, जिला- सिरोही
   (खाद्यकाराबारकर्ता, भागीदार एवं सप्लायर)

फर्म:- मैसर्स अम्बिका डिस्ट्रीब्यूटर, जी-1/106, अम्बाजी इन्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड़

4. अर्पित डी. पारिख पुत्र श्री दिनेश ए. पारिख,
   प्लॉट नं. 1090/2, सेक्टर-3/डी, गांधीनगर - 382006
   (नॉमिनी निर्माता फर्म)

फर्म:- वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गांव-पुन्धरा, तहसील-मानसा, जिला-गांधीनगर(गुज.)

5. वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, गांव-पुन्धरा, तहसील-मानसा, जिला-गांधीनगर(गुज.)
   पंजीकृत कार्यालय:- वाडीलाल हाउस, 53, श्रीमाली सोसायटी, नवरंगपुरा रेल्वे क्रॉसिंग के पास, नवरंगपुरा, अहमदाबाद - 380009
   जरिये नॉमिनी निर्माता फर्म:-
   अर्पित डी. पारिख पुत्र श्री दिनेश ए. पारिख,
   प्लॉट नं. 1090/2, सेक्टर-3/डी, गांधीनगर - 382006

प्रकरण संख्या: 38/2017

"अर्न्तगत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006"

उपस्थिति:

1. अधिवक्ता श्री पूरण सिंह देवड़ा, अभियुक्तगण की ओर से

-: निर्णय :- दिनांक 26 जुलाई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि

....पेज दो पर

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 21.5.2016 को समय 7.00 पी.एम. पर फर्म मैसर्स बॉम रिफ्रेशमेन्ट, नक्की झील, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर पॅहुचा व वहां विक्रेता के रुप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति विकास सेठ पुत्र श्री तरसेम कुमार सेठ, जाति- खत्री, निवासी- 10, सानंद हाउस, नक्की झील, माउन्ट आबू है एवं फर्म मैसर्स बॉम रिफ्रेशमेन्ट पर आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) का विक्रय आम जनता के उपयोग हेतु करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण करने के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं दुकान के डीप फ्रिज में बिक्री हेतु मौजूद आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) के 8 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 एम.एल.) में से आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) के 2 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 एम.एल.) खरीदे एवं उसकी कीमत रुपये 220/- (अक्षरे रुपये दो सौ बीस) अदा कर खरीद रसीद तैयार की, फार्म संख्या-5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक ने अपने हस्ताक्षर किये। फार्म नंबर 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना खरीद रसीद, मूल फार्म नं.5ए न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं सीरीयल नं., दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् खरीद शुदा आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) के दोनों नमूना पैकेटों को खोलकर एक भिगोने में डाला एवं कमरे के तापमान में आने दिया, इसके बाद पिघली हुई आईसक्रीम में से 1200 ग्राम को चार कांच की साफ सूखी खाली शीशीयों में बराबर-बराबर भरा तथा प्रत्येक शीशी में 24-24 बंदूं फार्मेलीन की डालकर शीशीयों के कार्क एयरटाईट बंद किया। प्रत्येक नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया व दो नमूना शीशीयों पर पैकेट का रेफर (लेबल) लगाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागम में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-590 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लेकर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता विकास सेठ ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई गई, फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। फिर कार्यालय पॅहुच कर फार्म नंबर 6 की 8 प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूने के चारों भागों के साथ फार्म नंबर 6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से

.....पेज तीन पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

बांधा व नियमानुसार सील चपडी किया। फार्म नंबर 6 की दो-दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग अलग बन्द कर गोंद से चिपकाई एवं लिफाफों को सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.5.2016 को नमूनें का एक भाग एवं फार्म नंबर 6 का एक सील्ड लिफ़ावा देवाराम, एम.पी.डब्लयू. के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 23.5.2016 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नंबर 6 का सील बन्द लिफावा अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, प्राप्त जांच रिपोर्ट अनुसार बॉम रिफ्रेशमेन्ट, नक्की झील, माउन्ट आबू पर खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता विकास सेठ से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) का नमूना S-590 मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया। है। उक्त जांच रिपोर्ट की प्रति खाद्य कारोबारकर्ता विकास सेठ को प्रेषित कर जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट होने की स्थिति में पुन: जांच का आवेदन फार्म 8 में जांच रिपोर्ट प्राप्ति से 30 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया, परन्तु खाद्य कारोबारकर्ता मनीष शर्मा ने पुन: जांच हेतु आवेदन प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(**ii**) का उल्लंघन पाया जो उक्त अधियिम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध होने से अभियोजन स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (**ii**) का उल्लंघन किया है जो धारा- 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। अत: अभियुक्तगण पर जुर्माना आरोपित किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी किये जाकर विधिवत तामिल करवाई गई। जिस पर प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता श्री पूरण सिंह देवड़ा हुए एवं अभियुक्तगण की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल) के अमानक स्तर का शक प्रार्थी को हुआ हो तथा प्रार्थी द्वारा जिस तरीके से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नमूनें प्राप्त किया गया वो विधि अनुसार नही किया गया है। आईसक्रीम का सेम्पल विधि अनुसार नही लिया गया व न ही विधिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई है। प्रार्थी ने दिनांक 23.5.2016 को सेम्पल नमूना भिजवाये जाना लिखा है, जिसकी रिपोर्ट मिलना जाहिर किया गया है वह जिसमें आईसक्रीम मिथ्या छाप होना बताया गया है, लेकिन जांच की विलम्ब अवधि में

....पेज चार पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

नमूना सेम्पल में मानक स्तर में गिरावट होने के कोई तथ्य नही बताये गये है, ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता था कि जब आईसक्रीम के सेम्पल लिये जाने व वक्त सेम्पल जांच कारित के मध्य काफी दिनों का अन्तर है और इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नही दिया गया। बिक्री के लिये प्रस्तुत तारीख को आईसक्रीम शुद्ध मानक स्तर की थी और इसी रुप में विक्रय की जा रही थी। आईसक्रीम मिथ्याछाप स्तर की नही थी और बेवजह परेशानी से बचने के लिये शपथ पत्र दिया गया है जिसके आधार पर प्रार्थी कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार नही है। अप्रार्थीगण ने कोई अपराध नही किया है और विक्रय हेतु प्रस्तुत आईसक्रीम शुद्ध व मानक स्तर की वाडीलाल कम्पनी की निर्मित थी। प्रार्थी द्वारा विधि अनुसार सेम्पल नही लिया व न ही विधि के अनुसार प्रक्रिया अपनाई गई है। अविधिक प्रक्रिया के आधार पर की गई कार्यवाही प्रारम्भ से ही दूषित है जिससे अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नही होता है और न ही अप्रार्थीगण ने कोई अपराध ही कारित किया है और न ही अप्रार्थीगण की ऐसी मंशा ही है। सेम्पल लेने की तारीख व एफ.एस.एल. रिपोर्ट मिलने की तारीख में भी काफी दिनों का अन्तर है तथा विक्रय के लिये उपलब्ध दिन व सेम्पल लिये जाने के दिन प्रस्तुत आईसक्रीम शुद्ध व मानक स्तर की थी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण के विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नही होने से प्रस्तुत कार्यवाही को निरस्त किया जावे।

(3) प्रकरण में बहस हेतु नियत सुनवाई तिथि 25.7.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नही हुये। अभियुक्तगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। अभियुक्तगण के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म मैसर्स बॉम रिफ्रेशमेन्ट, नक्की झील, माउन्ट आबू में विक्रेता विकास सेठ से दिनांक 21.5.2016 को वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल वाडीलाल ब्राण्ड) विक्रय के दिन शुद्ध एवं मानक स्तर का था, जो खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में भी शुद्ध एवं मानक स्तर का पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक नही था। खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट में निर्माता फर्म द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल वाडीलाल ब्राण्ड) के लेबल पर काजू एवं द्राक्ष की मात्रा का प्रतिशत अंकित नही करने से उक्त खाद्य पदार्थ को मिथ्याछाप होना बताया है, अन्य किसी तरह से उक्त खाद्य पदार्थ मिथ्याछाप नही पाया गया है, इसलिये कम से कम जुर्माना आरोपित कर प्रकरण का निस्तारण करावे।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं आवेदन में अंकित तथ्यों तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 21.5.2016 को 7.00 पी.एम. पर आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु मैसर्स बॉम रिफ्रेशनमेन्ट, नक्की झील, माउन्ट आबू, जिला- सिरोही पर गये। वहां उक्त फर्म मैसर्स बॉम रिफ्रेशमेन्ट, नक्की झील, माउन्ट आबू पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से विकास सेठ पुत्र श्री तरसेम कुमार सेठ, जाति खत्री, निवासी- 10, सानंद हाउस, नक्की झील, माउन्ट आबू उपस्थित

.....पेज पांच पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

मिले जो फर्म बॉम रिफ्रेशमेन्ट, नक्की झील, माउन्ट आबू पर खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) का विक्रय आम जनता के उपयोग के लिये करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म मैसर्स बॉम रिफ्रेशमेन्ट, नक्की झील, आबूपर्वत के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री नवलसिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही एवं श्री छोटेलाल चौरसिया पुत्र श्री मोतीलाल चौरसिया, निवासी- शीतला माता मंदिर के पास, मेन बाजार, माउन्ट आबू के समक्ष विक्रेता/खाद्यकारोबारकर्ता विकास सेठ को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी तथा उक्त दुकान के डिप फ्रिज में विक्रय हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) के 8 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) के 2 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक 700 एम.एल.) खरीदे एवं उसकी कीमत राशि रुपये 220/- (अक्षरे रुपये दो सौ बीस मात्र) अदा कर क्रय करने की रसीद तैयार कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर खाद्य कारोबारकर्ता विकास सेठ, उक्त गवाहान एवं एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं कमांक S-590, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर उक्त खाद्य कारोबारकर्ता विकास सेठ व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) के दोनों खरीद शुदा नमूना पैकेटो को खोलकर एक भिगोने में डाला व कमरे के तापमान पर आने दिया। इसके बाद पिघली हुई आईसक्रीम में से 1200 ग्राम को चार कांच की साफ सुखी खाली शीशीयों में बराबर-बराबर भरकर प्रत्येक शीशी में 24-24 बूंदे फार्मेलीन की डाली तथा शीशीयों के ढ़क्कन को एयरटाईट बन्द किया। प्रत्येक नमूना शीशी पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं दो नमूना शीशीयों के साथ पैकेट का रेफर (लेबल) लगाया। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-590 को नियमानुसार गोद से चिपकया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता विकास सेठ व उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूनों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की गई। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता विकास सेठ, उक्त गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवदेक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य

....पेज छः पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001

पदार्थ कय का बिल एवं मौका फर्द आदि के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) को खाद्य पदार्थ एवं सुरक्षा अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) के चारों नमूना भागों को साथ लेकर कार्यालय पँहुचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारो नमूना भागों को प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 23.5.2016 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री देवाराम, एम.पी.डब्लयू. के द्वारा वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की, जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही को दिनांक 23.5.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई। विचारणीय प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-590 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./633/ Act/2016/680 दिनांक 20.6.2016 के अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स बॉम रिफ्रेशमेन्ट, नक्की झील, माउन्ट आबू पर खाद्यकारोबारकर्ता/विक्रेता विकास सेठ से वास्ते जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के अर्न्तगत मिथ्याछाप (Misbranded) पाया गया है। जो Regulation No. 2.2.2.2(f) का उल्लंघन है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि प्रकरण में खाद्यकारोबारकर्ता एवं विक्रेता विकास सेठ, नक्की लेक, आबूपर्वत को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के पत्र कमांक: एफएसएसए/2016/3672-73 दिनांक 11.7.2016 के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित कर सूचित किया गया कि अगर उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नही हो तो अपील आवेदन प्रारुप-8 में इस पत्र प्राप्ति के 30 दिवस में प्रस्तुत करे, लेकिन संबंधित द्वारा अधिसूचित रेफरल लेब से नमूने की जांच कराने हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया।

प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह तथ्य भी साबित होता है कि अभियुक्त विकास सेठ पुत्र श्री तरसेम सेठ, जाति- खत्री, निवासी- 10, सानंद हाउस, नक्की झील, माउन्ट आबू की फर्म बॉम रिफ्रेशमेन्ट, नक्की झील, माउन्ट आबू ने उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम

.....पेज सात पर

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

(काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेटो को वेट इनवोईस के जरिये मैसर्स अम्बिका डिस्ट्रीब्यूटर्स, जी-1/106, अम्बाजी इन्डस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड् अम्बाजी इन्डस्ट्रीज एरिया, आबूरोड् से क्रय किया है, जो कि अभियुक्त संख्या 2 व 3 की भागीदारी की फर्म है। अभियुक्त संख्या- 2 व 3 की भागीदारी की फर्म मैसर्स अम्बिका डिस्ट्रीब्यूटर्स, जी-1/106, अम्बाजी इंडस्ट्रीयल एरिया, आबूरोड् को उक्त खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) के पैक्ड पैकेटों का विक्रय निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किया गया है। इससे, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम- पुन्धरा, तहसील- मानसा, जिला- गांधीनगर (गुजरात) ने मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) का निर्माण एवं विक्रय किया गया है जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन है एवं इस अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माने योग्य अपराध हैं। इस प्रकार, प्रकरण में मिथ्या छाप (Mis-branded) खाद्य पदार्थ आईसक्रीम (काजू द्राक्ष स्पेशल, वाडीलाल ब्राण्ड) के निर्माण व विक्रय हेतु मुख्य रुप से निर्माता फर्म वाडीलाल इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम-पुन्धरा, तहसील- मानसा, जिला- गांधीनगर (गुजरात) दोषी पाई जाती है।

अत: खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 80 के तहत प्रकरण में अभियुक्त संख्या 1 से 3 को आरोप मुक्त किया जाकर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा-(1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 52 के तहत निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम- पुन्धरा, तहसील- मानसा, जिला- गांधीनगर (गुजरात) पर राशि रुपये 15,000/- (अक्षरे रुपये पन्द्रह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम- पुन्धरा, तहसील- मानसा, जिला- गांधीनगर (गुजरात) के नॉमिनी अर्पित डी. पारीख पुत्र श्री दिनेश ए. पारीख, प्लॉट नंबर 1090/2, सेक्टर- 3/डी, गांधीनगर - 382006 को आदेशित किया जाता है कि निर्माता फर्म वाडीलाल इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, ग्राम- पुन्धरा, तहसील- मानसा, जिला- गांधीनगर (गुजरात) पर उक्तानुसार आरोपित जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्टेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही